न्यायालय – माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

केम्प – उज्जैन म0प्र0 निग /3158/ /15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

जब्बार खां आत्मज याकूब खां, वसूली पटेल,
निवासी ग्राम धतुरियाराव, तहसील सोनकच्छ, जिला
देवास म0प्र0 ––– आवेदक

विरूद्ध

सुल्तान खां आत्मज छीते खां
निवासी ग्राम धतुरियाराव, तहसील सोनकच्छ, जिला
देवास म0प्र0 ––– अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.। आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय, अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 26/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04–08–2015 से असंतुष्ठ एवं दुःखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम धतुरियाराव, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास के वसूली पटेल श्री याकूब खां आत्मज मुनीर खा, का स्र्वर्गवास दिनांक 06–05–2007 को हो जाने के कारण मृतक के पुत्र आवेदक द्वारा दिनांक 21–07–2007 को वसूली पटेल की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र पर मृतक के साथ आवेदक द्वारा वसूली पटेली का कार्य किये जाने के अनुभव के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर विधिवत विज्ञप्ति जारी हुई एवं प्रकरण में कार्यवाही कर अस्थायी नियुक्ति आवेदक की करने हेतु आदेश दिनांक 15–06–2009 को नायब तहसीलदार, सोनकच्छ, जिला देवास द्वारा किया गया।

यह कि उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनाधिकृत अपील, अनावेदक द्वारा

जब्बार खां

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3158–तीन/2015 जिला देवास

जब्बार खां विरूद्ध सुल्तान खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के आदेश दिनांक 04–8–15 का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत निर्मित नियम 4 का पालन नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण विधि अनुकूल आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को उचित मानते हुये अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ग्राह्यता के प्रथमदृष्टया आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	